

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 51] नई दिल्ली, बुधवार, फरवरी 21, 1979/फाल्गुन 2, 1900
No. 51] NEW DELHI, WEDNESDAY, FEB. 21, 1979/PHALGUNA 2, 1900

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या की जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate
compilation.

वाणिज्य, नागरिक पूर्ति तथा सहकारिता मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

नियति व्यापार नियंत्रण

नई दिल्ली, 21 फरवरी, 1979

सार्वजनिक सूचना सं० 21-ई० टी०सी०(पी०एम०)/79

विषय :—ताजे श्रद्धक का नियंत्रण।

मिसिल सं० 7(5)/77-ई०-2—उपर्युक्त विषय पर नियति (नियंत्रण) मसौदा अधिनियम सं० 51 (सी०) आ० 1977/एम०एम० (99) दिनांक 21 फरवरी, 1979 को ओर ध्यान दिया जाता है।

2. नियति की पुनरीक्षा करने पर यह निष्कर्ष दिया गया है कि ताजे श्रद्धक का नियंत्रण खुले सामान्य आइसमें-3 के अन्तर्गत अनुमति किया जाये। तदनुसार, अप्रैल, 1979—

मार्च 1979 की निर्यात नीति के खंड-2 में पृष्ठ 15 पर निम्नलिखित नई उप-प्रविष्टि समाविष्ट की जायेगी :—

क्रम सं०	पृष्ठ सं०	संदर्भ/विवरण	लाइसेंस नीति
1	15	क.स. सं० 18(4) ताजा अदरक	निर्यात खुले सामान्य लाइसेंस (3-के अन्तर्गत) अनुमति है। काठबंधन, गैरप्राप्ति, मूल्य नियंत्रक, प्राधान्य-निर्यात

MINISTRY OF COMMERCE, CIVIL SUPPLIES & CO OPERATION
(Department of Commerce)

EXPORT TRADE CONTROL

New Delhi, the 21st February, 1979.

PUBLIC NOTICE NO. 21-ETC(PN)/79

Subject:—Export of Fresh Ginger.

(No. 7(5)/77-FII :—Attention is invited to Exports (Control) Amendment Order No. F. (C) O. 1977/AM(99) dated the 21st February, 1979, on the above subject.

2. On a review of the situation it has been decided to allow the export of Fresh Ginger under OGL-3. Accordingly the following new sub-entry shall be inserted at Page 15, Section II. of Export Policy, for April, 1978—March, 1979.

S.No.	Page No.	Reference/Description	Licensing Policy
1.	15	S. No. 18(iv) Fresh Ginger	Export allowed under OGL-3.

K. V. SESHADRI, Chief Controller of Imports & Exports.